न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 166/2025
निर्णय दिनांक : 17.09.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025/320
दायर दिनांक – 17.09.2025

भगवानसिंह बनाम राजस्थान सरकार
–:निर्णय:–

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी **भगवानसिंह पुत्र रघुनामसिंह** निवासी भोजलाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम भोजलाई की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या **206** में प्रार्थी व सहखातेदार गुलाब कंवर पत्नी रघुवीरसिंह व भगवानसिंह, भावना कंवर, मरूधर कंवर, मोहन कंवर, लिछमा कंवर पुत्र पुत्रियां स्व0 रघुवीर सिंह नाम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी तथा उपर्युक्त सहखातेदारों के पिता/पति का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार रघुनाथसिंह अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व सहखातेदारान के पिता/पति का नाम **रघुवीरसिंह** दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता व सहखातेदारोन के पति/पिता नाम **रघुनाथसिंह** है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात ,आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076–2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में निम्नानुसार रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	भोजलाई	206	1 गुलाब कंवर पत्नी रघुवीरसिंह 2 भगवानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह 3 भावना कंवर पुत्री रघुवीरसिंह 4 मरूधर कंवर पुत्री रघुवीरसिंह 5 मोहन कंवर पुत्री रघुवीरसिंह 6 लिछमा कंवर पुत्री रघुवीरसिंह	1 गुलाब कंवर पत्नी रघुनाथसिंह 2 भगवानसिंह पुत्र रघुनाथसिंह 3 भावना कंवर पुत्री रघुनाथसिंह 4 मरूधर कंवर पुत्री रघुनाथसिंह 5 मोहन कंवर पुत्री रघुनाथसिंह 6 लिछमा कंवर पुत्री रघुनाथसिंह

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
दिनांक 17.09.2025

क्रमांक – रीडर/2025/
1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)